



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

क्रमांक भरत महती वगैरह बनाम शिवेश्वर महती वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
	<p>अभिलेख सं०-एम. ०१/१८/२०१८ धारा-१०७ द०प्र०सं० थाना प्रमारी तमाड के अप्राथमिकी सं०-०१/१८ दिनांक-०५.०१.१८ प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>प्रथम पक्ष के स्वतः से सुनी डखाई २० वं तमाड थाना काण्ड सं० १०/१७ दिनांक २६.१२.१७ धारा ३५१/३२३/५०५/५०६/३५ आ० द० वि० के अन्वये में उभय पक्ष में विवाद है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति शुद्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुद्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-१०७ के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरसो/उनसे प्रत्येक को १०००(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>०१-०२-१८</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	

०१-०२-१८

पीबसिन पदाधिकारी के ठेक में मांग
 के हे राँची में १/दिनांक २६-०२-१८ को
 २२वें

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

23-07-18

आमितीरण उपस्थापित । उभय पक्ष अधिवक्ता हाजरी । उभय पक्ष वताव दारिणल कौ । दिनांक 06-08-18 को रखे ।

23/7/18

06-08-18

आमितीरण उपस्थापित । प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी । द्वितीय पक्ष कमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित । उभय पक्ष वताव दारिणल कौ । दिनांक 20-08-18 को रखे ।

6/8/18

20-08-18

आमितीरण उपस्थापित । उभय पक्ष अधिवक्ता हाजरी । उक्त वाद में 6(के) माह का अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है अतः वाद में आमितीरण की कारवाही बन्द की जाती है ।

20/8/18